पत्र सं०–6 एस०एस०(6)09 / 2023– 3885 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुभाष नारायण, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–23/07/2026.

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– *आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत स्वीकृत राशि में से शेष राशि वित्तीय वर्ष 2026–27 में रुपये 3238.97 लाख (रुपये बत्तीस करोड़ अड़तीस लाख संतानवे हजार) मात्र की राशि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना (बिहार सरकार का एक उपक्रम) को व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त विभागीय राज्यादेश संख्या–3753, दिनांक–05.10.2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर०आई०डी०एफ०) के तहत प्राप्त ऋण से "राज्य स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण" हेतु रुपये 3927.52 लाख (उनचालीस करोड़ सत्ताईस लाख बावन हजार) मात्र तथा 17 जिलों के लिए "जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण" हेतु प्रति अदद रुपये 1092.85 लाख (दस करोड़ बानवे लाख पचासी हजार) की दर से मात्र रुपये 18578.45 लाख (एक अरब पचासी करोड़ अठहत्तर लाख पैंतालीस हजार) मात्र अर्थात कुल रुपये 22505.97 लाख (दो अरब पच्चीस करोड़ पाँच लाख सन्तानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. उक्त विभागीय राज्यादेश के आलोक में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर०आई०डी०एफ०) के तहत स्वीकृत राशि में से बजट उपबंध की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में रुपये 5722.00 लाख (सन्तावन करोड़ बाईस लाख) मात्र तथा पशुपालन निदेशालय के आदेश ज्ञापांक–3706(नि०), दिनांक–20.11.2024 के आलोक में वित्तीय

वर्ष 2024–25 में रुपये 13545.00 लाख (एक अरब पैंतीस करोड़ पैंतालीस लाख) मात्र अर्थात कुल रुपये 19267.00 लाख (एक अरब बानवे करोड़ सड़सठ लाख) मात्र की राशि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना (बिहार सरकार का एक उपक्रम) को उपलब्ध करायी गयी है।

3. महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक–बी०एस०बी०सी०सी०एल०–178–2015 (वित्त)/833, दिनांक–11.05.2026 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर०आई०डी०एफ०) के तहत स्वीकृत राशि में से शेष बची राशि रुपये 3238.97 लाख (बत्तीस करोड़ अड़तीस लाख सन्तानवे हजार) मात्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

4. महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के उक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर०आई० डी०एफ०) के तहत संगत विभागीय राज्यादेश संख्या–6 एस०एस० (6) 09/2023–3753, दिनांक–05.10.2023 के द्वारा स्वीकृत राशि रुपये 22505.97 लाख (दो अरब पच्चीस करोड़ पाँच लाख सन्तानवे हजार) मात्र में से बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना (बिहार सरकार का एक उपक्रम) को पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि रुपये 19267.00 लाख (एक अरब बानवे करोड़ सड़सठ लाख) मात्र की अन्तर राशि रुपये 3238.97 लाख (बत्तीस करोड़ अड़तीस लाख सन्तानवे हजार) मात्र की राशि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना (बिहार सरकार का एक उपक्रम) को व्यय हेतु उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–"क" के रूप में संलग्न है।

5. इस योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय का विकलन बजट मुख्य शीर्ष–4403 –पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–051 –निर्माण, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0102 –पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवनों का निर्माण (नाबार्ड सम्पोषित योजना), विपत्र कोड– 02–4403000510102 के तहत 0102.5301 –मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

6. इस वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में विभागीय राज्यादेश संख्या–3753 दिनांक–05.10.2023 में प्रावधानित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. संगत राज्यादेश की कंडिका–9 के आलोक में योजना कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड द्वारा RIDF के तहत स्वीकृत ऋण की राशि के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु प्रस्तावित राशि की निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम

लिमिटेड, पटना (बिहार सरकार का एक उपक्रम) के पी०एल० खाता संख्या–PNBPLA007 में अंतरित किया जायेगा।

8. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. चूँकि यह एक चालू योजना है। योजना का लागत मूल्य 30.00 करोड़ से अधिक है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 / वि०, दिनांक–03.12.2024 में प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)09 / 2023 के पृष्ठ–29 / टि० एवं दिनांक–14.07.2026.

10. प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)09 / 2023 के पृष्ठ–30 / टि०, डायरी संख्या–485, दिनांक–21.07.2026.

11. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

23.7.26

(सुभाष नारायण)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)09 / 2023– 3885 / पटना–15, दिनांक–23 / 07 / 2026.

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)09 / 2023– 3885 / पटना–15, दिनांक–23 / 07 / 2026.

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)09 / 2023-- 3885 / पटना–15, दिनांक--....23/ ...07.. / 2026.

प्रतिलिपि :-- मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना / महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)09 / 2023-- 3885 / पटना–15, दिनांक--..23 / ..07... / 2026.

प्रतिलिपि :– सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)09 / 2023– 3885 / पटना–15, दिनांक--..23/ ...07... / 2026

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा / लेखा शाखा / योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)09 / 2023-- 3885 / पटना–15, दिनांक--..23 / 07..... / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / विभागीय योजना शाखा–6 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)09 / 2023-- 3885 / पटना–15, दिनांक–23. / ...07.. / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)09 / 2023-- 3885 / पटना–15, दिनांक–23.. / .07..... / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई०टी० मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

 Typed by Sanjay Kumar

व्यय विवरणी—'क'

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत प्राप्त ऋण से राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण की योजना की व्यय विवरणी :–

विपत्र कोड 02–4403000510102.

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि	कोषागार का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
1	2	3	4	5
1	0102.5301 –मुख्य निर्माण कार्य	3238.97	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना।
	योग :–	**3238.97**		

कुल राशि (रुपये बत्तीस करोड़ अड़तीस लाख सन्तानवे हजार) मात्र।

3885
23/07/26

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

5 Typed by Sanjay Kumar